देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/08 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 27 मई 2022

आबकारी मे इस्पेक्टर राज!!!

रात 8 बजे बाद जम कर,बिक रही ओवर रेट पर शराब!!!

ओवर नाइट!!!

ओवर रेट!!!

फ़र्स्ट इंडिया के स्टिंग के बाद भी नहीं सुधरे हालात!!!

स्टिंग के बावजूद, संबन्धित शराब ठेकेदारो और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नहीं हुई कोई कार्यवाही!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आबकारी मे इंस्पेक्टर राज!!!

या तो आबकारी निरीक्षकों ने आंखें मूंद रखी हैं या फिर शराब के ठेकेदार दबंग हो चले हैं ! राजधानी जयपुर में 24 घंटे शराब उपलब्ध है जी हां... यह हम नहीं कह रहे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए आंखों देखे हालात चीख चीख कर कह रहे हैं। शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर लघु काशी के नाम से दुनिया भर में अपनी पहचान रखने वाले जयपुर की छवि को दागदार करने का मानो अभियान चला रखा हो। रात 8 बजे बाद खुलेआम न केवल शराब बेची जा रही है वरन उस पर रु 65 तक ओवररेट वसूली जा रही है। इस गंभीर मामले से पर्दा उठाते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन कर हकीकत जाननी चाही|

Liquor contractors & excise dept taint the image of state

Nirmal Tiwari

Jaipur: Either the excise inspectors have turned a blind eye or the liquor contractors have become dominant that liquor is available 24 hours a day in the state capital.

It appears that liquor contractors in connivance with the officials of the excise department are running a campaign to taint the image of Jaipur, which is famous as 'Laghu Kashi'.

Liquor shops are supposed to close at 8 pm but even after the closing time, not only liquor is being sold openly, but over rate is being charged, up to Rs 65. This sting operation of First India News has exposed the truth.

A total of 404 shops are approved by the excise department in Jaipur. IMFL, beer and country made liquor are sold under the composite arrangement at these liquor shops.

As per the rules, this liquor shop can be opened only from 10 am to 8 pm. The name of the licensee, the rate of liquor available, POS machine, CCTV camera and the name of the concerned District Excise Officer and his mobile number should be mentioned on these shops.

STING OPERATION

A team of First India conducted a visit of the shops to know the reality of whether all these norms are being followed or not and whether the responsible officers of the department are seriously ensuring that these rules and regulations are followed or not?

शराब लाईसेंसियों के लिए नियम कड़े,लेकिन इन नियमों की पालना करवाने वाले अधिकारी गैर-जिम्मेदार!

यूं तो राजधानी जयपुर के अंदर आबकारी विभाग द्वारा कुल 404 दुकानें स्वीकृत हैं। इन शराब दुकानों पर कम्पोजिट व्यवस्था के तहत देशी और अंग्रेजी शराब तथा बीयर की बिक्री की जाती है। आबकारी विभाग के नियमों के मुताबिक यह शराब दुकान सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खोली जा सकती हैं। इन दुकानों पर बाकायदा लाइसेंसी का नाम, उपलब्ध शराब की दर, पोस मशीन, सीसीटीवी कैमरा और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का नाम और उसका मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। यही नहीं दुकान पर काम करने वाले सभी सेल्समैन का आबकारी विभाग से स्वीकृति नौकरनामा भी होना चाहिए। दुकान पर किसी तरह का लुभावना विज्ञापन नहीं होना चाहिए, दुकान का आकार और उस पर लगे होर्डिंग का साइज भी आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यह शराब दुकान किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती और किसी मजदूर बस्ती के 200 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या राजधानी जयपुर में इन सभी नियम कायदों को की पालना शराब कारोबारी कर रहे हैं या नहीं ? और क्या आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन नियम कायदों की पालना हो इसको गंभीरता से सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं ?

रात 8 बजे बाद जम कर,बिक रही ओवर रेट पर शराब!!!

फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के एक स्टिंग ऑपरेशन मे आबकारी अधिकारियों की गंभीर लापरवाही या मिलीभगत और बेखौफ शराब कारोबारियों का एक काला सच सामने आया।अपने स्टिंग ऑपरेशन मे न्यूज चैनल द्वारा पूरे जयपुर शहर के अलग अलग इलाको मे 10 शराब लाईसेंसियों के यहाँ पड़ताल की,इन सभी जगहों पर एक जैसे ही हालात देखने को मिले|सभी जगहों पर रात 8 बजे बाद सेल्समेन ओवेररेट पर बंद शटर के पीछे से शराब बेचते दिखे|

फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम 23 मई को रात्रि 8:00 बजे बाद सबसे पहले आतिश मार्केट स्थित लाइसेंसी मीनू त्यागी की दुकान पर पहुंची तो देखा यहां खुलेआम शराब बेची जा रही थी। टीम ने यहां से किंगफिशर स्ट्रांग बीयर की बोतल खरीदी जिसकी छपी दर रु145 है जबकि लाइसेंसी ने इसके रु170 वसूले वह भी रात्रि 8 बजे बाद यानी ओवररेट और निश्चित समय दोनों ही मामलों में यहां नियमों को तोड़ा जा रहा था। सबूत के तौर पर शराब दुकान से रात्रि 8 बजे बाद बीयर बेचे जाने का वीडियो और ऑनलाइन भुगतान की रसीद उपलब्ध हैं। इसके बाद रिद्धि सिद्धि चौराहे पर शिव भाग कंवर की दुकान पर भी रात्रि 8:00 बजे बाद युवक स्ट्रांग बियर 145 के स्थान पर रु170 की दी गई। इसके बाद केएस फोर्ड के सामने स्थित लाइसेंसी बाबू खान की दुकान पर रु155 रेट की बियर रु180 में दी गई। इसके बाद कल्पना कार्गो गोपालवाड़ी लाइसेंसी शाहिद कुरेशी यहां पर रु105 की दर का अंग्रेजी शराब का पव्वा रु160 में दिया गया। यहां से रेलवे स्टेशन के सामने स्थित यास्मीन बानो की दुकान से रु155 दर की बियर रु 200 में, इसके बाद झोटवाड़ा जोन में पावर हाउस रोड के पास स्थित नजमा बानो की दुकान पर 145 रुपए की बीयर 200 में दी गई। इसके बाद देवराज होटल खासा कोठी स्थित मुंशी खान की दुकान से रु 155 छपी दर के विरुद्ध रु 220 में बीयर दी गई, सवाई जयसिंह हाईवे स्थित नजमा बानो की दुकान पर रु105 का अंग्रेजी शराब का पव्वा रु 120 में और एनबीसी के सामने हसनपुरा स्थित अनीस अली की दुकान पर रु 155 दर वाली बियर रु 200 में दी गई।

जिम्मेदार अधिकारी

पदनाम	नाम
जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर	मातादीन मीणा
सहायक आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर	गौरव मणि जौहरी
आबकारी निरीक्षक,वृत जयपुर शहर पूर्व	कर्णिका मेहता
आबकारी निरीक्षक,वृत जयपुर शहर दक्षिण	भानुप्रिया शर्मा
आबकारी निरीक्षक,वृत जयपुर शहर उत्तर	हरीश शर्मा
आबकारी निरीक्षक,वृत जयपुर शहर दक्षिण-पूर्व	अब्दुल जावेद
आबकारी निरीक्षक,वृत जयपुर शहर पश्चिम	अब्दुल जावेद
आबकारी निरीक्षक,वृत जयपुर शहर झोटवाड़ा	जयकृत सिंह
आबकारी निरीक्षक,वृत जयपुर शहर सांगानेर	जयकृत सिंह

आइये आपको बताते है कि फ़र्स्ट इंडिया न्यूज के स्टिंग के क्या सामने आया|

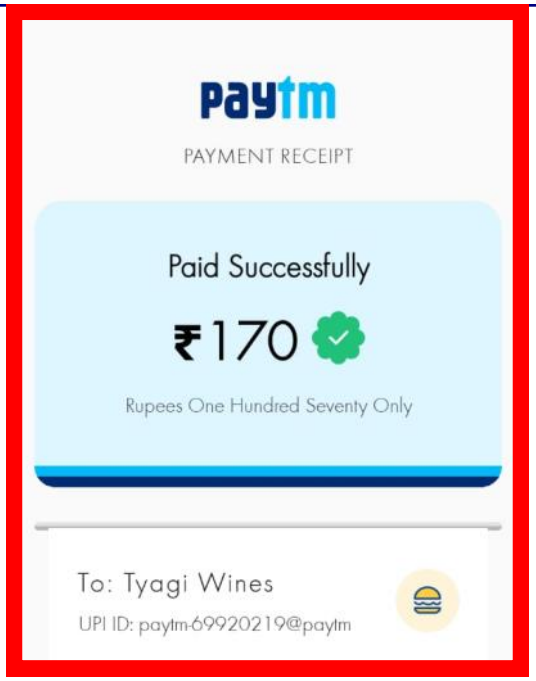

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-दक्षिण

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-दक्षिण

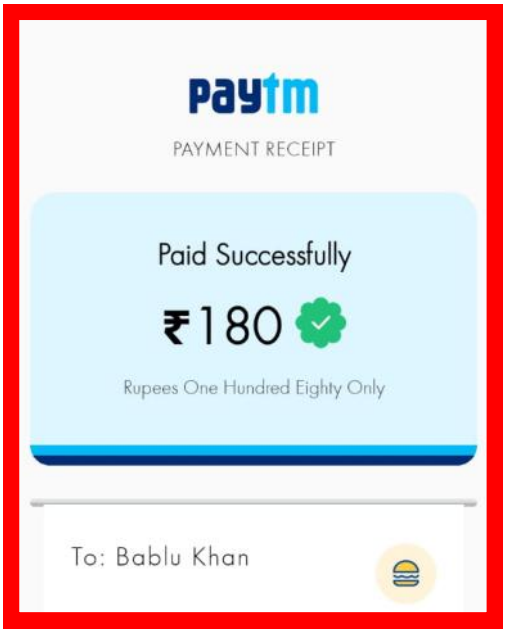

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-दक्षिण

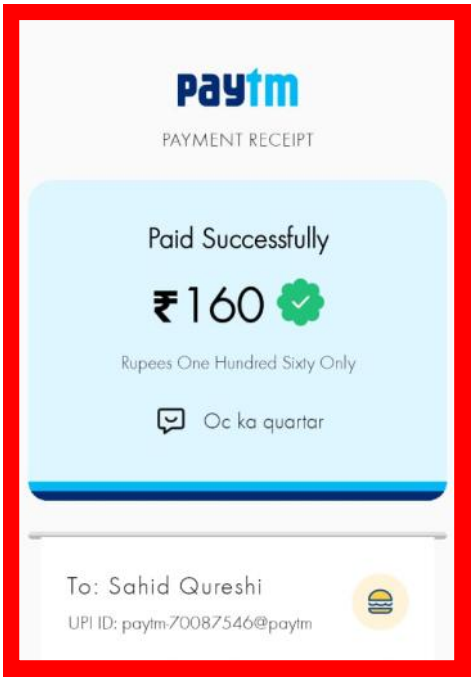

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-पश्चिम

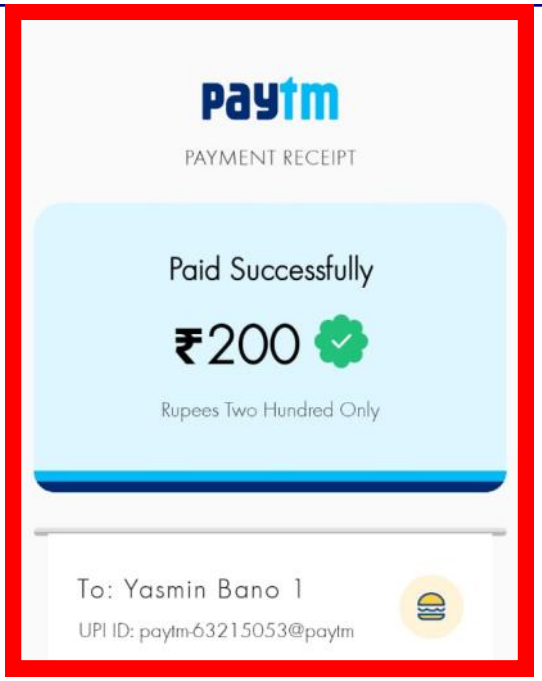

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-झोटवाड़ा

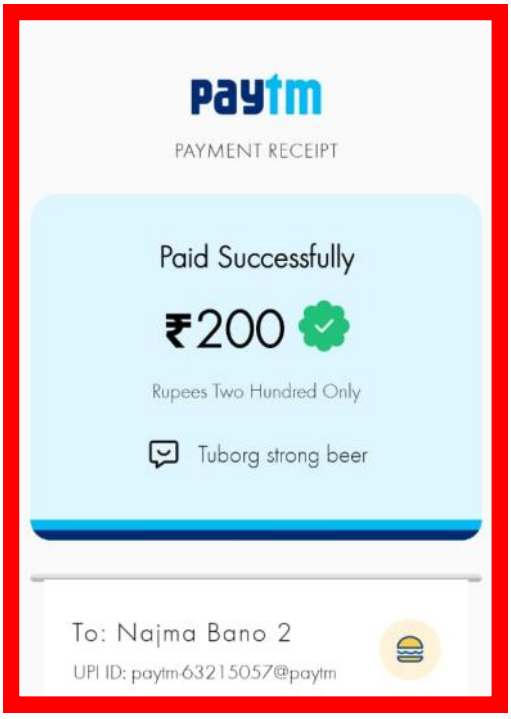

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-झोटवाड़ा

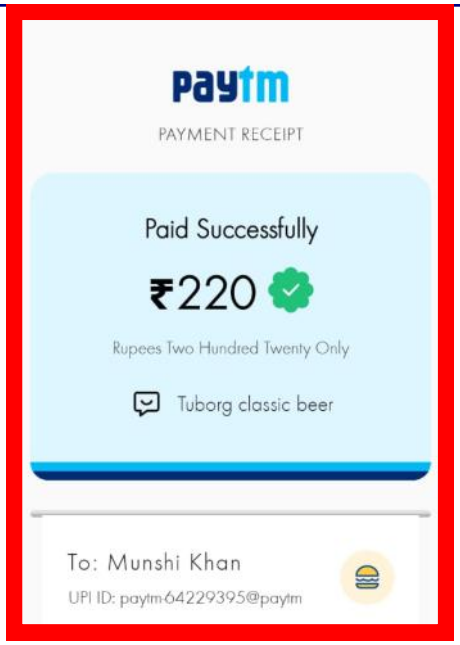

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-झोटवाड़ा

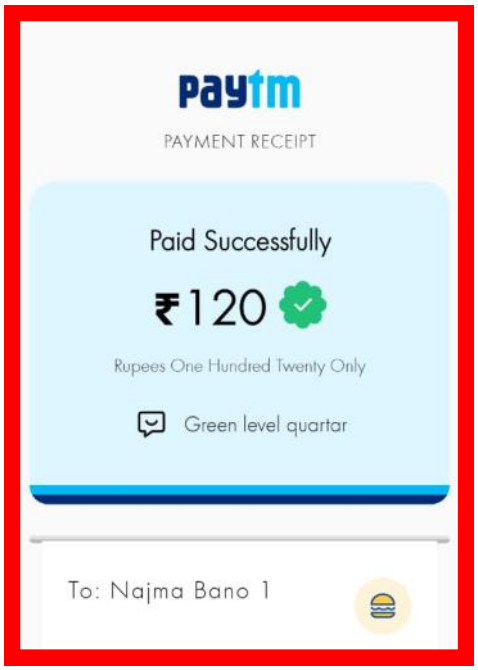

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-झोटवाड़ा

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-पश्चिम

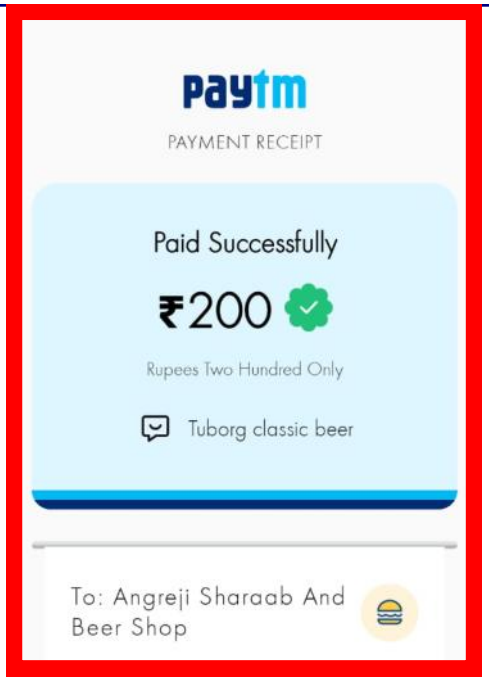

संबन्धित सर्कल:-जयपुर-पश्चिम

नकद भुगतान

क्या विभाग के मंत्री महोदय करवाएँगे इस मामले की जांच ?

अब देखना यह है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ तो खरीद का समय और ऑनलाइन भुगतान की रसीद का वीडियो प्रसारित कर, सच से पर्दा उठा चुका है लेकिन क्या आबकारी विभाग की आंखों पर पड़ा मिलीभगत का पर्दा भी उठ पाएगा ? आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा और आबकारी आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित से जयपुर की जनता को अब यही अपेक्षा है कि शराब कारोबार के इस काले खेल से हो रहे राजस्व नुकसान को तो रोके ही साथ ही बेखौफ हो चुके आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और शराब कारोबारियों पर भी सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश करें।